पत्र संख्या-7/भा॰स॰प॰-17-05/2005 (खंड) ..../
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
योजना एवं विकास विभाग/
सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग/
ऊर्जा विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग/श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
सहकारिता विभाग/गृह विभाग/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग/
नागर विमानन विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/
जल संसाधन विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/
कला संस्कृति, खेलकुद एवं युवा कार्य विभाग/
कल्याण विभाग/सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/
समाज कल्याण विभाग/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/
कारा महानिरीक्षक/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक
झारखंड, रांची ।

रांची, दिनांक- नवम्बर, 2006

विषय :- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (b) के आलोक में विभाग का कार्य एवं दायित्व प्रकाशित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (b) के आलोक में सभी लोक प्राधिकार को अपने कार्य एवं दायित्व का प्रकाशन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के 120 दिनों के अंदर किया जाना आवश्यक है ।

इस संदर्भ में आपसे विभागीय पत्रांक-346 दिनांक-06.09.2005, पत्रांक-123 दिनांक-07.01.2006, अर्द्ध सरकारी पत्रांक-1963, दिनांक-24.04.2006 एवं पत्रांक-5087 दिनांक-20.09.2006 द्वारा अनुरोध किया गया था कि अपने विभाग के कार्य एवं दायित्व का प्रकाशन कर उसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करावें, परन्तु आपके स्तर से की गई कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है । इस संबंध में दिनांक-17.11.2006 को अपील पर

सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा निदेश दिया गया है कि अपने विभाग के कार्य एवं दायित्व के प्रकाशन की सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(3) एवं 4(4) तथा इस हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत की जाय एवं ऐसा करते समय सूचना देने की तिथि भी अवश्य अंकित की जाय तथा भविष्य में इसमें किसी परिवर्तन की स्थिति में निरन्तर अद्यतन करायी जाय ।

अनुरोध है कि अपने विभाग के कार्य एवं दायित्व के प्रकाशन की सूचना उपरोक्त के अनुसार प्रकाशित करते हुए उसकी एक प्रति इस विभाग एवं झारखंड राज्य सूचना आयोग को एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/भा०स०प०–17–05/2005 (खंड) ...6185.../ रांची, दिनांक–18 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने–अपने विभाग से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(b) के अंतर्गत कार्यों एवं दायित्वों का प्रकाशन अधिनियम की धारा 4(3) एवं 4(4) तथा इस हेतु दिये गए स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत अविलम्ब करते हुए इसकी सूचना झारखंड राज्य सूचना आयोग तथा इस विभाग को दी जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।